भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †22
सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पोरबंदर में गोसाबरा-मोकरसागर आर्द्रभूमि परिसर का विकास

†22. **श्रीमती पूनमबेन माडम:**
क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पोरबंदर में गोसाबरा-मोकरसागर आर्द्रभूमि परिसर को एक स्थायी पारिस्थितिकी-पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पारिस्थितिकी-पर्यटन परियोजना संरक्षण लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देते हुए आर्द्रभूमि की जैव विविधता के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रवासी तथा स्थानीय पक्षी प्रजातियों को न्यूनतम परेशानी सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (घ): पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को पर्यटन परियोजनाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके इन प्रयासों को संपूरित करता है।

वर्ष 2024-25 में, पर्यटन मंत्रालय ने देश में प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का व्यापक विकास और वैश्विक स्तर पर इनकी ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग करने के उद्देश्य से 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता - वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का विकास' (एसएएससीआई) नामक योजना के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए थे। उक्त योजना के तहत भारत

सरकार ने देश में 3295.76 करोड़ रुपये की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें गुजरात में 99.50 करोड़ रुपये की 'केरली, मोकरसागर में इकोपर्यटन गंतव्य' नामक परियोजना भी शामिल है। एसएएससीआई योजना के तहत परियोजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा परियोजना प्रस्तावों की प्रस्तुति, निर्धारित मापदंडों और योजना दिशानिर्देशों में वर्णित संस्थागत कार्यढाँचे के अनुरूप उनकी जाँच के आधार पर चिह्नित किया गया है।

योजना की रूपरेखा के अनुसार, पर्यावरण सहित सभी संगत कारकों का विश्लेषण करने के बाद संबंधित राज्य सरकार को परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करनी होगी। इसके अतिरिक्त, लागू नियमों और विनियमों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन से पहले पर्यावरण, वन एवं प्रदूषण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अन्य निर्माण-पूर्व स्वीकृतियों सहित, सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त करना संबंधित राज्य की ज़िम्मेदारी है।

*****